

यूको बैंक  UCO BANK

प्रधान कार्यालय : 10, वि. त्रै. म. सरणी, कोलकाता - 700 001
Head Office : 10, B. T. M. Sarani, Kolkata - 700 001

सूचना

NOTICE

एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि यूको बैंक के शेयरधारकों की 11वीं वार्षिक आम बैठक सोमवार, दिनांक 30 जून, 2014 को पूर्वाह्न 11.00 बजे भाषा भवन ऑडिटोरियम, नेशनल लाइब्रेरी, बेलवेडियर रोड, अलीपुर, कोलकाता-700 027 में आयोजित की जाएगी जिसमें निम्नलिखित मदों पर कार्यवाही की जाएगी:-

1. दिनांक 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र, उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के लाभ और हानि लेखे, लेखे की अवधि के लिए बैंक के क्रियाकलापों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट तथा तुलन-पत्र एवं लेखे के संबंध में लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा करने एवं उन्हें अंगीकृत करने हेतु।
2. दिनांक 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए ईक्विटी शेयरों पर अंतिम रूप से लाभांश अनुमोदित एवं घोषित करने हेतु।

NOTICE is hereby given that the 11th Annual General Meeting of the Shareholders of UCO Bank will be held on Monday, the 30th June, 2014 at 11.00 A.M. at Bhasha Bhavan, National Library Auditorium, Belvedere Road, Alipore, Kolkata 700 027 to transact the following business:-

1. To discuss approve and adopt the Balance Sheet as at 31st March 2014 Profit and Loss Account of the Bank for the year ended on that date, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts.
2. To approve and declare final dividend on Equity Shares for the year ended 31st March, 2014.

निदेशक मंडल के
आदेश से

By order of the Board
of Directors

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 28 मई, 2014

(अरुण कौल)
अध्यक्ष एवं प्रबंध
निदेशक

Place: Kolkata
Date: 28.05.2014

(Arun Kaul)
Chairman & Managing
Director

नोट

परोक्षी की नियुक्ति

बैठक में उपस्थित होने एवं मतदान करने के लिए हकदार कोई शेयरधारक अपने बदले बैठक में उपस्थित होने एवं मतदान करने हेतु किसी परोक्षी को नियुक्त करने का भी हकदार है और यह जरूरी नहीं है कि ऐसा परोक्षी बैंक का कोई शेयरधारक ही हो। परोक्षी फार्म को प्रभावी करने के लिए यह जरूरी है कि वह बैंक को उसके शेयर अनुभाग, वित्त विभाग, 2, इंडिया एक्सचेंज प्लेस, 3रा तल, कोलकाता-700001 में उक्त बैठक की तारीख से कम से कम चार दिन पूर्व यानी बुधवार, दिनांक 25 जून, 2014 को बैंक के कार्य-समय की समाप्ति के पूर्व प्राप्त हो जाए। कृपया नोट करें कि बैंक के किसी कर्मचारी या अधिकारी को यूको बैंक (शेयर और बैठकें) विनियम, 2003 के उपबंधों के अनुसार परोक्षी के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है।

प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति

कोई भी व्यक्ति बैंक के किसी शेयरधारक निगमित निकाय के सम्यक् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में बैठक में उपस्थित होने या मतदान करने का तबतक हकदार नहीं होगा जबतक प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में उसे सम्यक् रूप से नियुक्त करनेवाले संकल्प की एक प्रति, जो उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित सत्य प्रति हो, जिसमें संकल्प पारित किया गया था, बैंक के प्रधान कार्यालय के शेयर अनुभाग, वित्त विभाग, 2, इंडिया एक्सचेंज प्लेस, 3रा तल, कोलकाता-700001 में उक्त बैठक की तारीख से कम से कम चार दिन पूर्व यानी बुधवार, दिनांक 25 जून, 2014 को बैंक के कार्य-समय की समाप्ति के पूर्व प्राप्त न हो जाए। ऐसे प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा निष्पादित प्रोक्सी फार्म तभी प्रभावी होगा, जब यह उपर्युक्त दस्तावेज के साथ उक्त पते पर बुधवार, दिनांक 25 जून, 2014 के कार्य समय की समाप्ति के पूर्व बैंक को जमा कर दिया जाए।

बैंक के किसी कर्मचारी या अधिकारी को यूको बैंक (शेयर और बैठकें) विनियम, 2003 के उपबंधों के अनुसार प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है।

उपस्थिति पर्ची -सह-प्रवेश पास

शेयरधारकों की सुविधा के लिए वार्षिक रिपोर्ट के साथ उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पास संलग्न किया जा रहा है। शेयरधारकों/परोक्षीधारकों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे उसे भरें और उसमें उपलब्ध कराए गए खाली स्थान पर अपने हस्ताक्षर करें तथा बैठक-स्थल पर उसे अभ्यर्पित करें। शेयरधारकों के परोक्षी/प्राधिकृत प्रतिनिधि को उपस्थिति पर्ची -सह-प्रवेश पास में यथास्थिति "परोक्षी" या "प्राधिकृत प्रतिनिधि" उल्लिखित करना चाहिए। शेयरधारकों/परोक्षीधारकों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि कृपया अपने साथ पैन कार्ड, मतदाता पहचानपत्र, पासपोर्ट आदि लाएं और सही पहचान के बाद ही उन्हें प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।

शेयरधारकों के रजिस्टर की बंदी

वार्षिक खाताबंदी एवं बैठक में घोषित लाभांश के भुगतान के प्रयोजनार्थ गुरुवार, दिनांक 26 जून, 2014 से सोमवार, दिनांक 30 जून, 2014 (दोनों दिन सहित) तक शेयरधारकों का रजिस्टर एवं बैंक की अंतरण बही बंद रहेगी।

Notes

APPOINTMENT OF PROXY

A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING, IS ALSO ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF / HERSELF, AND SUCH A PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK. The proxy form in order to be effective must be received at the Head Office of the Bank at its Share Section, Finance Department, at 2, India Exchange Place, 3rd floor, Kolkata – 700 001 not later than FOUR DAYS before the date of the Meeting i.e., on or before the closing hours of the Bank on Wednesday, 25th June, 2014. Please note that any employee or officer of the Bank cannot be appointed as proxy as per provision of UCO Bank (Share and Meeting) Regulation 2003.

APPOINTMENT OF AUTHORISED REPRESENTATIVE

No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorised representative of any body corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall have deposited at the Head Office of the Bank with Share Section, Finance Department, at 2, India Exchange Place, 3rd floor, Kolkata – 700 001 not later than FOUR DAYS before the date of the meeting, i.e., on or before the closing hours of the Bank on Wednesday, 25th June, 2014. The proxy form if any executed by such authorized representative will be effective provided the same is also deposited with the Bank along with the above documents on or before the closing hours of the Bank on Wednesday, 25th June, 2014 at the above mentioned address.

An employee or officer of the Bank cannot be appointed as authorized representative as per provisions of UCO Bank (Shares and Meetings) Regulation 2003.

ATTENDANCE SLIP CUM ENTRY PASS

For the convenience of the shareholders, Attendance slip-cum-Entry Pass is annexed to the Annual Report. Shareholders/Proxy holders /Authorised Representative are requested to fill in and affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue. Proxy/Authorised Representative of shareholders should state in their Attendance Slip-cum-Entry Pass as 'Proxy or Authorised Representative' as the case may be. Shareholders/Proxy holders/Authorised Representatives must carry a valid Photo identity card like PAN Card, Election ID, Passport etc with them and will be allowed entry only after proper identification.

CLOSURE OF REGISTER OF SHAREHOLDERS

The Registrar of Shareholders and the Transfer Books of the Bank will remain closed from Thursday, the 26th June, 2014 to Monday, the 30th June, 2014 (both days inclusive) for the purpose of Annual Book Closure and payment of dividend declared at the Meeting.

लाभांश का भुगतान

बोर्ड ने अपनी 21 मई 2014 को आयोजित बैठक में ₹10/- के सांकेतिक मूल्य के प्रत्येक इक्विटी शेयर हेतु वर्ष 2013-14 के लिए ₹1/- के इक्विटी लाभांश की अंतिम रूप से संस्तुति की है। निदेशक मंडल द्वारा यथासंस्तुत तथा 11वीं वार्षिक आम बैठक में अनुमोदित लाभांश उन शेयरधारकों को दिया जाएगा:-

- क) जो बुधवार, 25 जून, 2014 को कार्य-समय की समाप्ति पर निक्षेपागारों, यानी एनएसडीएल/सीडीएसएल द्वारा प्रस्तुत सूची के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर धारित करते हैं, या
- ख) जो बुधवार, 25 जून, 2013 को या 30 जून 2014 को बैंक के कार्य समय की समाप्ति के पूर्व शेयरधारकों से प्राप्त वैध अंतरण को प्रभावी करने के बाद शेयरधारकों के रजिस्टर में मूर्त रूप में शेयर धारित करते हैं।

बैंक द्वारा लाभांश की घोषणा की तारीख के 30 दिन के भीतर ऐसे शेयरधारकों को लाभांश वारंट उनके रजिस्ट्रीकृत पते पर रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट यानी मे. कार्बी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड के जरिए भेजा जाएगा।

अदत्त / अदावाकृत लाभांश

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 10 ख के अनुसार यदि कोई राशि अदत्त लाभांश खाते में अंतरित की जाती है और ऐसे अंतरण की तारीख से सात वर्ष की अवधि तक अदत्त / अदावाकृत रहती है तो उसे कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 205 ग(1) के अधीन स्थापित "निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि" में अंतरित किया जाएगा।

जिन शेयरधारकों ने वित्तीय वर्ष 2012-13 तक लाभांश का दावा नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट मे. कार्बी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड के पास वैध दावा(वे) प्रस्तुत करें।

डाक पता / बैंक अधिदेश में परिवर्तन एवं एनईसीएस के माध्यम से लाभांश का भुगतान

क) मूर्त रूप में धारित शेयर

मूर्त रूप से शेयर धारण करनेवाले शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि डाक पता, बैंक खाता विवरण यथा बैंक का नाम, शाखा का नाम, खाता संख्या, ईसीएस अधिदेश आदि में परिवर्तन होने की सूचना रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट यानी मेसर्स कार्बी कंप्यूटरशेयर प्रा.लि., 17 से 24, विड्डल राव नगर, माधापुर, हैदराबाद - 500 081, को दें ताकि वे अपना लाभांश सीधे अपने खाते में प्राप्त कर सकें और इसकी सूचना समय रहते ही दी जा सके। ईसीएस अधिदेश फार्म का प्ररूप वार्षिक प्रतिवेदन में संलग्न है।

ख) इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयरों का धारण

इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयरधारण करनेवाले हिताधिकारी मालिकों से यह अनुरोध किया जाता है कि वे यह सुनिश्चित करें कि अपने निक्षेपागार भागीदार के पास पता, बैंक का विवरण यानी बैंक का नाम, शाखा का नाम, खाता संख्या, ईसीएस अधिदेश आदि अद्यतित हैं ताकि वे अपना लाभांश सीधे अपने खाते में प्राप्त कर सकें और अन्यथा इसकी सूचना समय रहते दी जा सके।

PAYMENT OF DIVIDEND

The Board in its meeting held on 21st May, 2014 has recommended final dividend of ₹1/- for the year 2013-14 per equity share of nominal value of ₹10/- each. The dividend as recommended by the Board of Directors and approved at the 11th Annual General Meeting will be paid to those shareholders:-

- a) who hold in electronic form, as per the list furnished by the depositories, i.e., NSDL/CDSL as at the close of business hours on Wednesday, 25th June, 2014 or
- b) who hold in physical form in the Register of Shareholders as on Wednesday, 25th June, 2014 after giving effect to the valid transfer requests from the shareholders received before close of business hours of the Bank on 30th June, 2014.

Dividend warrants to such shareholders would be sent by the Bank through Registrar and Share Transfer Agents viz, M/s Karvy Computershare Private Limited within 30 days from the date of declaration of dividend on their registered addresses.

UNPAID/UNCLAIMED DIVIDEND

As per section 10B of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act 1970 any money which is transferred to unpaid dividend account and remains unpaid/unclaimed for a period of seven years from the date of such transfer shall be transferred to "Investor Education and Protection Fund" established under section 205C(1) of the Companies Act 1956.

Shareholders who have not claimed their dividend upto the financial year 2012-13 are requested to lodge valid claim(s) with Registrar and Transfer Agent M/s Karvy Computershare Private Limited.

CHANGE IN ADDRESS/BANK MANDATE AND PAYMENT OF DIVIDEND THROUGH NECS:

a) Holding of shares in Physical Form

Shareholders holding shares in physical form are requested to inform the Registrar and Share Transfer Agent i.e. M/s. Karvy Computershare Pvt. Ltd., 17 to 24, Vittal Rao Nagar, Madhapur, Hyderabad – 500 081, in respect of change of address, Bank Account details, viz, Name of Bank, Name of Branch, Account Number, ECS Mandate so that they receive dividend directly in their account & communication etc. in time, if not already done. The format for ECS Mandate form is enclosed in Annual Report.

b) Holding of shares in Electronic Form

Beneficial owners holding shares in electronic form, are requested to ensure that the address, Bank details i.e. Name of Bank, Name of Branch, Account Number, ECS Mandate etc. are duly updated with their Depository Participant so that they may receive dividend directly in their account & the communications, well in time, if not already done.

शेयरधारक कृपया यह नोट करें कि अपने खाते में लाभांश सीधे प्राप्त करने हेतु राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन प्रणाली (एनईसीएस) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रतिपादित एक पद्धति है। यह सुविधा उन शेयरधारकों को उपलब्ध है जिनका खाता वैसे बैंक में है जिसकी सभी शाखाएं सीबीएस से जुड़ी हैं एवं हिताधिकारी मालिकों के एनईसीएस अधिदेश निक्षेपागार सहभागी (डीपी) के पास दर्ज है। मूर्त रूप से शेयरधारण करनेवाले शेयरधारक रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट के पास ईसीएस अधिदेश प्रस्तुत कर इस सुविधा को प्राप्त कर सकते हैं। इस पद्धति से लाभांश वारंट के मार्ग में खोने या अन्य किसी प्रकार की हानि से बचा जा सकता है।

8. अदावाकृत शेयर

बैंक के आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव के बाद जारी कुछ शेयर प्रमाणपत्र शेयरधारकों के आवेदन पत्र में उल्लिखित पत्र अधूरे डाक पते एवं तदनुसार परिवर्तित पते की वजह से हमारे रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट के पास वापस लौट आए। बैंक को ऐसे शेयरों के असली शेयरधारकों / मालिकों से दावा / अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। सूचीबद्ध करार के अनुसार बैंक ऐसे शेयरों को अमूर्तिकृत घोषित करेगा जिनका दावा असली शेयरधारकों / मालिकों द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है।

दिनांक 31.03.2014 तक अदावाकृत शेयरों के विवरण निम्नप्रकार हैं :

क्रम सं. SI. No.	विवरण Particulars	शेयरधारकों की संख्या No. of shareholders	शामिल शेयरों की संख्या No. of shares involved
i.	दिनांक 01.04.2013 की स्थिति के अनुसार अदावाकृत शेयर Shares unclaimed as on 01.04.2013	206	28400
ii.	वर्ष 2013-14 के दौरान दावा किए गए और / हिताधिकारी के खाते में अंतरित शेयर Shares claimed and transferred to Beneficiary account during the year 2013-14	NIL	NIL
iii.	दिनांक 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार अदावाकृत शेयर Shares unclaimed as on 31.03.2014	206	28400

अदावाकृत शेयरों के के मामले में सही मालिक द्वारा दावा नहीं किए जाने तक मताधिकार अवरुद्ध रखे जाएंगे।

ई-मतदान

बैंक अपने शेयरधारकों को ई-मतदान की सुविधा प्रदान करते हुए प्रसन्नता का अनुभव करता है ताकि वे इस नोटिस में उल्लिखित मदों पर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से अपना मतदान कर सकें। सभी शेयरधारकों को ई-वोटिंग के जरिए अपने मत देने में सक्षम बनाने के संबंध में एक अलग सूचना/नोटिस भेजा जा रहा है।

बैठक में चुनाव

दोनों कार्यसूची मदों पर विचार-विमर्श हो जाने के बाद अध्यक्ष दोनों मदों के संबंध में चुनाव का आदेश करेंगे। चुनाव किया जाएगा जो इस प्रयोजन से नियुक्त किए गए जाँचकर्ताओं के पर्यवेक्षण में होगा। चुनाव समाप्त होने पर अध्यक्ष द्वारा बैठक के समाप्त होने की घोषणा की जा सकती है। ई-मतदान के परिणामों के जरिए संग्रहीत चुनाव परिणाम बैंक द्वारा अपनी वेबसाइट में घोषित किए जाएंगे। स्टॉक एक्सचेंजों को भी सूचित किए जाएंगे।

Shareholders please note that National Electronic Clearing System (NECS) is a procedure stipulated by Reserve Bank of India for receiving dividend directly in their account. This facility is available to the shareholder provided his account is with a branch of a Bank having all of its branches under Core Banking Solution (CBS) and NECS Mandate of the Beneficial owners recorded with their Depository Participant (DP). The shareholders holding shares in physical form can also avail this facility by submitting ECS mandate to Registrar & Share Transfer Agent. This procedure avoids loss of dividend warrant (s) in transit or otherwise.

UNCLAIMED SHARES

Few of the share certificates issued after the Bank's Initial Public Offer returned undelivered to our Registrar & Share Transfer Agents on account of improper address mentioned in the application forms and subsequent change in addresses of the shareholders. Bank is yet to receive claim/request from the bonafide shareholders/owners of such shares. As per the Listing Agreement, the Bank is required to dematerialize the shares which remained unclaimed by the bonafide shareholders/owners of such shares.

Following are details of the shares unclaimed as on 31.03.2014 :

The voting rights in respect of the unclaimed shares will remain frozen till the claim by the rightful owner.

E-Voting

The Bank is pleased to provide e-voting facility to the shareholders of the Bank to enable them to cast their votes electronically on the items mentioned in the notice. A separate communication / Notice is being sent to all the shareholders to enable them to cast their votes through e-voting.

Poll at the Meeting

After both the agenda items have been discussed, the Chairman will order Poll in respect of both the items. Poll will be conducted and supervised under Scrutinizers to be appointed for the purpose. After conclusion of the Poll, the Chairman may declare the meeting as closed. The Results of the Poll aggregated with the results of e-voting will be announced by the Bank in its website and also informed to the stock exchanges.

बैंक के शेयरों का अनिवार्य रूप से अमूर्तीकृत(डिमाट) रूप में क्रय-विक्रय

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा दिए गए दिशानिर्देश के अनुसरण में सभी निवेशकों के लिए बैंक के शेयरों का क्रय-विक्रय अमूर्तीकृत रूप में किया जाना अनिवार्य कर दिया गया है। बैंक की आईएसआईएन कूट संख्या आईएनई 691ए01018 है।

बैंक के शेयरों के अमूर्तीकरण हेतु निर्गमनकर्ता कंपनी के रूप में राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लि. (एनएसडीएल) और केंद्रीय निक्षेपागार सेवा (भारत) लि. (सीडीएसएल) के साथ बैंक ने करार किया है।

संबंधित निक्षेपागार सहभागियों के माध्यम से अमूर्तीकरण का अनुरोध हमारे रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट के पास भेजा जा सकता है।

तुलन-पत्र/ वार्षिक प्रतिवेदन की प्रतियां

शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि वार्षिक आम बैठक के स्थल पर वार्षिक प्रतिवेदन की प्रतियां वितरित नहीं की जाएंगी।

शेयरधारकों द्वारा पूछताछ

हमें प्रसन्नता होगी यदि शेयरधारक विचारार्थ कार्यसूची की मदों से संबंधित पूछताछ, यदि कोई हो, बैंक में पर्याप्त समय रहते प्रस्तुत करें, ताकि बैंक को प्रभावी रूप से प्रत्युत्तर देने में सहूलियत हो।

शेयर अंतरण एजेंटों के साथ पत्राचार

शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि वे अपने पंजीकृत पते या किसी अन्य प्रकार के विवरण में परिवर्तन, यदि कोई हो, संबंधी सूचना अमूर्तीकृत शेयरों के मामले में अपने निक्षेपागार सहभागी के माध्यम से एवं मूर्त शेयरों के मामले में सीधे बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट को इस पते पर दें :

मेसर्स कार्वा कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड

यूनिट : यूको बैंक

प्लॉट सं. 17 से 24, विड्डलराव नगर, माधापुर, हैदराबाद -500 081

दूरभाष : (040) 44655000; फैक्स (040)23420814

ऑनलाइन पूछताछ/शिकायत दर्ज करने हेतु बैंक के शेयरधारक मेसर्स कार्वा कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट

www.karvycomputershare.com पर लॉग ऑन करें और अपनी पूछताछ/शिकायत, यदि कोई हो, दर्ज करने हेतु निवेशक सेवा पृष्ठ पर क्लिक करें।

13. शेयर अनुभाग एवं निवेशक शिकायत कक्ष

शेयरधारकों को शीघ्र एवं बेहतर सेवा प्रदान करने हेतु बैंक ने अपने प्रधान कार्यालय, कोलकाता में निवेशक शिकायत कक्ष की स्थापना की है। शेयरधारक एवं निवेशक किसी भी प्रकार की सहायता के लिए इस कक्ष से निम्नलिखित पते पर संपर्क कर सकते हैं :

श्री एन.पूर्णचंद्र राव, कंपनी सचिव, शेयर अनुभाग एवं निवेशक शिकायत कक्ष, यूको बैंक, प्रधान कार्यालय, 2 - इंडिया एक्सचेंज प्लेस (3रा तल), कोलकाता- 700001

दूरभाष : 033-44557227, फैक्स : (033) 22485625

निदेशक मंडल के
आदेश से

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 28.05.2014

(अरुण कौल)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

COMPULSORY TRADING OF SHARES OF THE BANK IN DEMATERIALIZED (DEMAT) FORM

Pursuant to the directive of SEBI, trading of our Bank Shares in dematerialised form has been made compulsory for all investors. ISIN Code Number of the Bank is INE691AO1018

The Bank has entered into an agreement with National Securities Depository Ltd. (NSDL) and Central Depository Services (India) Ltd (CDSL) as an issuer Company for dematerialisation of Bank's Shares.

Request for dematerialisation may be sent through respective depository participants to our Registrars and Share Transfer Agent.

COPIES OF BALANCE SHEET/ANNUAL REPORT

Shareholders are advised that copies of the Annual Report will not be distributed at the venue of the Annual General Meeting.

Shareholders Queries

It will be appreciated if shareholders submit their queries, if any, on the agenda items to be considered at the Meeting sufficiently in advance to facilitate effective response from the Bank.

COMMUNICATION WITH SHARE TRANSFER AGENTS

Shareholders are requested to intimate changes, if any, in their registered address or any other particulars through their Depository Participant in case of DEMAT shares and directly in case of physical shares to the Registrar and Share Transfer Agent of the Bank at the following address :

M/S Karvy Computershare Private Limited

Unit : UCO BANK,

Plot No. 17 to 24, Vittalrao Nagar, Madhapur,

Hyderabad – 500 081

Tel : (040) 44655000; Fax : (040)23420814

For on line queries/grievances, shareholders of the Bank may login on the website of M/s Karvy Computershare Private Limited i.e., www.karvycomputershare.com and click on Investor Services page to register their queries/grievances, if any.

SHARE SECTION & INVESTORS GRIEVANCE CELL

In order to facilitate quick and efficient service to the shareholders, the Bank has set up Investors Grievance Cell at its Head Office, Kolkata, Shareholders and investor may contact this Cell at the under mentioned address for any assistance :

Shri N Purna Chandra Rao, Company Secretary, Share Section & Investors Grievance Cell, UCO Bank, Head Office : 2, India Exchange Place (3rd Floor), Kolkata – 700 001

Telephone : 033-44557227, Fax : (033) - 22485625

By Order of the
Board of Directors

Place: Kolkata
Date: 28.05.2014

(Arun Kaul)
Chairman & Managing Director